(1200/CS/KSP)

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

1200 बजे

**माननीय अध्यक्ष :** अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2 – श्री राव इंद्रजीत सिंह।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Competition Commission of India, New Delhi, for the year 2020-2021.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Competition Commission of India, New Delhi, for the year 2020-2021.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Investor Education and Protection Fund Authority, New Delhi, for the year 2020-2021.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Investor Education and Protection Fund Authority, New Delhi, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Investor Education and Protection Fund Authority, New Delhi, for the years 2020-2021.

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Company Secretaries Act, 1980:-

(i) The Annual Report and Audited Accounts of the Council of Institute of Company Secretaries of India for the year ending 31st March, 2021 published in Notification No. F. No. 104/41/Accts.-1 INTRODUCTION in Gazette of India dated 27th September, 2021.

(ii) G.S.R.643(E) published in Gazette of India dated 21st September, 2021, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.170(E) dated 1st March, 2019.

(iii) No. 1 of October, 2021 published in Gazette of India dated 6th October, 2021, regarding election to fill vacancy of the 13th Council from the Eastern India Regional Constituency of the Institute of Company Secretaries of India.

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Cost and Works Accountants Act, 1959:-

(i) The Annual Report and Audited Accounts of the Council of Institute of Cost Accountants of India for the year ending 31st March, 2021 published in Notification No. G/20-CWA/9/2021 in Gazette of India dated 29th September, 2021.

(ii) G.S.R.644(E) published in Gazette of India dated 21st September, 2021, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.787(E) dated 15th October, 2015.

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 30B of the Chartered Accountants Act, 1949:-

(i) The Annual Report and Audited Accounts of the Council of Institute of Chartered Accountant of India for the year ending 31st March, 2021 published in Notification No. 1-CA(5)/72/2021 dated 29th September, 2021.

(ii) The Chartered Accountants (Election to the Council) Amendment Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.584(E) in Gazette of India dated 24th August, 2021.

(iii) G.S.R.642(E) published in Gazette of India dated 21st September, 2021, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.1591(E) dated 12th April, 2019.

(iv) G.S.R.843(E) published in Gazette of India dated 1st December, 2021, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.38(E) dated 19th January, 2011.

(6) A copy of the Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2021 (Hindi and English versions) published in Notification No. L-3(2)/Regin-Gen.(Amdt.)/2021/CCI in Gazette of India dated 6th September, 2021 under Section 64 of the Competition Act, 2002.

(7) A copy of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Second Amendment Rules, 2021 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.785(E) in Gazette of India dated 9th November, 2021 under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013together with a corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R.791(E) dated 12th November, 2021.

.....

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** महोदय, श्री अश्विनी कुमार चौबे की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 25 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ((हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2021 जो 27 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 593(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें) संशोधन नियम, 2021 जो 26 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 759(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (नमूने लेने की रीति और सूचना का प्ररूप) नियम, 2021 जो 14 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 742(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3, 6 और 25 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3460(अ) जो 24 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के पुनर्गठन के बारे में है।

(दो) का.आ. 3688(अ) जो 13 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो लक्षद्वीप तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के पुनर्गठन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 3794(अ) जो 16 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के पुनर्गठन के बारे में है।

(चार) का.आ. 4886(अ) जो 26 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कतिपय तटीय खण्डों को तटीय विनियमन क्षेत्र घोषित किया गया है तथा तटीय विनियमन क्षेत्र में उद्योगों, प्रचालनों और प्रसंस्करणों की स्थापना और विस्तार पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

(पांच) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 जो 12 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 571(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 22 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 647(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) का.आ. 4696(अ) जो 24 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को दिबांग वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(आठ) का.आ. 3462(अ) जो 25 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को हुलांगपुर-गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(नौ) का.आ. 3583(अ) जो 13 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को मनाली वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(दस) का.आ. 3875(अ) जो 28 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को कालाटॉप-खजिआर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(ग्यारह) का.आ. 1958(अ) जो 18 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(बारह) का.आ. 3032(अ) जो 7 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को अधिचुनचनागिरी मयूर अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(तेरह) का.आ. 4729(अ) जो 28 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को मथिकेट्टन शोला राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(चौदह) का.आ. 3496(अ) जो 8 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को सैलाना वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(पंद्रह) का.आ. 3030(अ) जो 7 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को प्रणहित वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(सोलह) का.आ. 3034(अ) जो 7 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को नयगांव मयूर अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(सत्रह) का.आ. 3877(अ) जो 27 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को छपराला वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(अठारह) का.आ. 3029(अ) जो 7 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को लाखरी घाटी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(उन्नीस) का.आ. 2941(अ) जो 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को केशरबाग वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(बीस) का.आ. 3632(अ) जो 15 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को रामसागर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(इक्कीस) का.आ. 410(अ) जो 23 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को प्वाइंट कैलीमेरे वन्यजीव अभयारण्य (ब्लॉक-बी) पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(बाईस) का.आ. 411(अ) जो 28 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को प्वाइंट कैलीमेरे वन्यजीव अभयारण्य (ब्लॉक-ए) पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(तेईस) का.आ. 794(अ) जो 21 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को ओस्सुडु झील पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(चौबीस) का.आ. 1615(अ) जो 22 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को वेल्लोड पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(पच्चीस) का.आ. 3879(अ) जो 28 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को कासु ब्रह्मंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(छब्बीस) का.आ. 3152(अ) जो 30 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को लख बहोसी पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(सत्ताईस) का.आ. 4695(अ) जो 24 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को नंधौर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(3) उपर्युक्त (2) की मद सं. (सात) से (सत्ताईस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले इक्कीस विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

.....

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

.....

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एण्ड आर्काइव्स धर्मशाला के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एण्ड आर्काइव्स, धर्मशाला के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

.....

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय कामगार शिक्षा एवं विकास बोर्ड (पूर्व में–केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड), नागपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय कामगार शिक्षा एवं विकास बोर्ड (पूर्व में–केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड), नागपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, 1948 की धारा 97 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एन-12/13/1/2019-पीएण्डडी जो 13 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना में संशोधन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) समग्र शिक्षा संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(2) (एक) समग्र शिक्षा (राज्य कार्यान्वयन सोसायटी) मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा (राज्य कार्यान्वयन सोसायटी) मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) यूईई मिशन के समग्र शिक्षा कार्यालय, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूईई मिशन के समग्र शिक्षा कार्यालय, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 38 के अंतर्गत नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 17 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1302(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

.....

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर, अमृतसर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर, अमृतसर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरूपति के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरूपति के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरूपति के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्यौगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्यौगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रबंध संस्थान तिरूचिरापल्ली विनियम, 2021 जो दिनांक 12 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 8-9/2021-टीएस.पांच (चार) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान जम्मू विनियम, 2021 जो दिनांक 1 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 8-9/2021-टीएस.पांच में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर विनियम, 2021 जो दिनांक 20 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईआईएम/एएसआर/डी/1/21-103 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रबंध संस्थान विशाखापट्टनम विनियम, 2021 जो दिनांक 26 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 34-1/2021-टीएस.पांच में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर विनियम, 2021 जो दिनांक 27 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 8-9/2021-टीएस.पांच में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रबंध संस्थान रोहतक विनियम, 2021 जो दिनांक 26 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईआईएमआर/प्रशा./2021/61 में प्रकाशित हुए थे।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Housing Bank, New Delhi, for the year 2020-2021, under sub-section (5) of Section 40 of the National Housing Bank Act, 1987.

(2) A copy of the Separate Audit Report (Hindi and English versions) of Stressed Assets Stabilisation Fund, Mumbai, for the years 2013-2014 to 2018-2019.

(3) A copy each of the following Annual Reports and Accounts (Hindi and English versions) of the Regional Rural Banks for the year ended the 31st March, 2021 together with Auditor's Report thereon:-

(i) Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank, Warangal
(ii) Andhra Pragathi Grameena Bank, Kadapa
(iii) Arunachal Pradesh Rural Bank, Naharlagun
(iv) Aryavart Bank, Lucknow
(v) Assam Gramin Vikash Bank, Guwahati
(vi) Bangiya Gramin Vikash Bank, Berhampore
(vii) Baroda Gujarat Gramin Bank, Vadodara
(viii) Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank, Ajmer
(ix) Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Gorakhpur
(x) Chaitanya Godavari Grameena Bank, Guntur
(xi) Chhattisgarh Rajya Gramin Bank, Raipur
(xii) Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna
(xiii) Ellaquai Dehati Bank, Srinagar
(xiv) Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi
(xv) J&K Grameen Bank, Jammu
(xvi) Jharkhand Rajya Gramin Bank, Ranchi
(xvii) Karnataka Gramin Bank, Ballari
(xviii) Karnataka Vikas Grameena Bank, Dharwad
(xix) Kerala Gramin Bank, Thiruvananthapuram
(xx) Madhya Pradesh Gramin Bank, Indore

(xxi) Madhyanchal Gramin Bank, Sagar
(xxii) Maharashtra Gramin Bank, Aurangabad
(xxiii) Manipur Rural Bank, Imphal
(xxiv) Meghalaya Rural Bank, Shillong
(xxv) Mizoram Rural Bank, Aizawl
(xxvi) Nagaland Rural Bank, Kohima
(xxvii) Odisha Gramya Bank, Bhubaneswar
(xxviii) Paschim Banga Gramin Bank, Howrah
(xxix) Prathama U.P. Gramin Bank, Moradabad
(xxx) Puduvai Bharthiar Grama Bank, Puducherry
(xxxi) Punjab Gramin Bank, Kapurthala
(xxxii) Rajasthan Marudhara Gramin Bank, Jodhpur
(xxxiii) Saptagiri Grameena Bank, Chittoor
(xxxiv) Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak
(xxxv) Saurashtra Gramin Bank, Rajkot
(xxxvi) Tamil Nadu Grama Bank, Salem
(xxxvii) Telangana Grameena Bank, Hyderabad
(xxxviii) Tripura Gramin Bank, Agartala
(xxxix) Utkal Grameen Bank, Bolangir
(xl) Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar
(xli) Uttar Bihar Gramin Bank, Muzaffarpur
(xlii) Uttarakhand Gramin Bank, Dehradun
(xliii) Vidharbha Konkan Gramin Bank, Nagpur

(4) A copy of the Consolidated Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Regional Rural Banks for the year 2020-2021.

.....

## STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES AND SKILL DEVELOPMENT

## 26th to 29th Reports

1203 hours

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I beg to present a copy each of the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development:

(1) Twenty-Sixth Report on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Seventeenth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2021-22)' of the Ministry of Labour & Employment.

(2) Twenty-Seventh Report on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Eighteenth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (201-22)' of the Ministry of Textiles.

(3) Twenty-Eighth Report on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Nineteenth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2011-22)' of the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship.

(4) Twenty-Ninth Report on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Twentieth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Functioning of National Institute of Fashion Technology (NIFT)' relating to the Ministry of Textiles.

---

## STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS
## 10th and 11th Reports

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Sir, I beg to present the Tenth Report on 'PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi)' and Eleventh Action Taken Report on 'Implementation of Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014' (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs.

---

## COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES
## 8th and 9th Reports

DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (2021-22):-

(i) Eighth Report on "Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Public Sector Banks/Financial Institutions/Reserve Bank of India and credit facilities and other benefits being provided by such Institutions/Banks to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes with special reference to State Bank of India".

(ii) Ninth Report on "Study of atrocity cases against Scheduled Castes and Scheduled Tribes with respect to implementation of the Prevention of Atrocities Act, 1989 with special reference to cases related to withholding of pensions and retirement benefits of SC/ST Employees".

---

## COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE
## 46th to 52nd Reports

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I beg to present the Forty-sixth to Fifty-second Reports (Original) (Hindi and English versions) of the Committee on Papers Laid on the Table (2021-22).

---

## STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 12th, 15th and 19th REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES AND SKILL DEVELOPMENT – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR): Sir, I beg lay the following statements regarding:-

(i) the status of implementation of the recommendations contained in the 12th Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on 'Action Taken by the Government on the recommendations contained in 3rd Report of the Committee on Demands for Grants (2019-2020)' pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

(ii) the status of implementation of the recommendations contained in the 15th Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on 'Action Taken by the Government on the recommendations contained in 7th Report of the Committee on Demands for Grants (2020-2021)' pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

(iii) the status of implementation of the recommendations contained in the 19th Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on 'Demands for Grants (2021-2022)' pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

## समितियों के लिए निर्वाचन
## (i) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार):** महोदय, श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

> "कि इस सभा के सदस्य भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के विनियम 3.1 और 3.1.1 के साथ पठित संस्थान की प्रशासन और संपत्ति एवं निधि प्रबंधन योजना के खण्ड 9.1 (ड.) के अनुसरण में, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त योजना और विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। "

(1205/KKD/KN)

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

> "कि इस सभा के सदस्य भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के विनियम 3.1 और 3.1.1 के साथ पठित संस्थान की प्रशासन और संपत्ति एवं निधि प्रबंधन योजना के खण्ड 9.1(ङ) के अनुसरण में, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त योजना और विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

---

## (ii) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of my senior colleague, Shri Bhupender Yadav, I beg to move the following:-

> "That in pursuance of clause(i) of Section (4) of the Employees' State Insurance Act, 1948, read with rule 2A of the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, the Members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one Member from amongst themselves to serve as Member of the Employees' State Insurance Corporation, *vice* Shri John Barla appointed as the Minister, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder."

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

> "कि इस सभा के सदस्य कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4 के खण्ड(i) के अनुसरण में, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन श्री जॉन बर्ला, जो मंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं, के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

## स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1206 बजे

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

**-----**

## *MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

12106 hours

**माननीय अध्यक्ष:** श्रीमती सोनिया गांधी।

SHRIMATI SONIA GANDHI (RAEBARELI): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me the opportunity to speak. I wish to draw the attention of the Government to the nation-wide outrage regarding a shockingly regressive passage in the reading comprehension section A of the grade 10 Central Board of Secondary Education Exam held on 11.12.2021.

The passage contains an atrocious statement such as, and I quote: "Women gaining independence is the main reason for a wide variety of social and family problems." … (*Interruptions*)

Here, I again quote: "Wives stopped obeying their husbands, and that is the main reason, children and servants are indisciplined."

The entire passage is riddled with such condemnable ideas, and the questions that follow are equally non-sensical.

Sir, I add my voice to the concerns of students, parents, teachers, and educationists, and I raise strong objections to such blatantly misogynist material finding its way into an important examination conducted by the CBSE. It reflects extremely poorly on the standards of education and testing; and it goes against all norms and principles of a progressive and empowered society.

Sir, I urge the Ministry of Education and the CBSE to immediately withdraw this question, issue an apology, and conduct a thorough review into this egregious lapse to ensure that this is never, never repeated again.

I also urge that the Ministry of Education must conduct a review on gender sensitivity standards of the curriculum and testing. Thank you. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Magunta Sreenivasulu Reddy.

… (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):The entire CBSE exam raises concerns and we are worried … (*Interruptions)*

---

* Please see pp. 321 – 322 for the list of Members who have associated.

**माननीय अध्यक्ष:** श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** सदन की जो परंपरा रही है, उस परंपरा के अनुसार जो भी विषय उठता है, उसका सरकार जवाब देने का प्रयास करती है। प्लीज बैठ जाइये। नई परंपरा नहीं डलेगी।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** श्री अनिल फिरोजिया।

… (व्यवधान)

(1210/GG/RP)

**श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन):** अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे शून्य काल में महत्वपूर्ण विषय रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में परिवर्तन कर 8वीं की बजाय 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। महोदय, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के लागू होने के बाद गत वर्ष देश के हजारों विद्यार्थी, पहली से आठवीं क्लास के बच्चे नि:शुल्क पढ़ाई कर जैसे ही 9वीं कक्षा में पहुंचते हैं, अधिकांश बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उन बच्चों की पढ़ाई के लिए निजी स्कूल संचालकों द्वारा बच्चों एवं उनके परिवारजनों से फीस मांगी जाती है, जिसकी वे पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इन बच्चों के परिजनों के पास निजी स्कूलों की भारी-भरकम फीस चुकाने के लिए पैसा नहीं होता है, जिसके कारण विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है।

1211 बजे

(इस समय श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री ए. राजा, डॉ. फारूख अब्दुल्ला और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)

महोदय, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के चलते, भारी-भरकम फीस वाले, जाने-माने, नामचीन स्कूलों में 8वीं तक मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर मजबूरी में स्कूल की पढ़ाई छोड़ने वाले कई बच्चे अवसाद का शिकार हो रहे हैं। इन स्कूलों को छोड़ने के बाद विद्यार्थी समाज की मुख्यधारा से कट जाते हैं। जबकि अधिनियम के माध्यम से सरकार की मंशा यही है कि गरीब, शोषित, पीड़ित व वंचित वर्ग, जो समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ है, जो दिहाड़ी मज़दूरी कर के अपने परिवार का भरण-पोषण करता है, उसके परिवार के बच्चे भी देश के नामचीन स्कूलों में पढ़ें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें।

महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 8वीं कक्षा तक अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर माननीय प्रधान मंत्री जी 12वीं तक की संपूर्ण शिक्षा को अधिनियम के दायरे में लाएंगे तो करोड़ों बच्चों का फायदा होगा और वे आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद।

**श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल (खरगौन):** माननीय अध्यक्ष जी, जनजातीय समाज के एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, भारत की सांस्कृतिक परंपरा में जनजातीय समुदाय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परंतु जनजातीय समुदाय में लाभ, प्रलोभन के आधार पर धर्मांतरण का काम भी किया जाता है, जिससे धर्मांतरित व्यक्ति आरक्षण का लाभ भी प्राप्त करता है और कहीं न कहीं संस्कृति का नुकसान भी करता है। भारत के संविधान के अनुछेद 341 में अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अगर धर्मांतरित होता है, तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। वहीं आर्टिकल 342 में अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति धार्मांतरित होता है, तो उसको आरक्षण का लाभ भी मिलता है। इस प्रकार से लाभ प्रलोभनों के आधार पर कोई व्यक्ति अगर धर्मांतरण करता है तो मध्य प्रदेश की सरकार ने उसके लिए कड़ी कानूनी सज़ा का प्रावधान किया है। मैं देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि वे इस बार सदन में ऐसे कानून का प्रावधान ले कर आएं, जिससे कि इस प्रकार से धार्मांतरित व्यक्तियों का आरक्षण समाप्त किया जा सके। साथ ही जिन्होंने भी धर्मांतरण के बाद आरक्षण लिया है, उनका आरक्षण समाप्त करें। आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए पूरे जनजातीय समुदाय की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

1214 hours (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Thank you very much, Speaker, Sir. I would like to bring to your attention the problems of Home Guards in our country. Their services are equal to police personnel and causality are also there throughout the country during the police operations but they are getting very meagre wages when compared to other Police forces. They are demanding for regularization of their services for a long time.

During the year 1947, the Government of India formulated an Act regarding the utilization of the services of the Home Guards. The State Government paying daily wages to the Home Guards and their recruitment is taking place since 1962. They are mostly belonging to the communities of SCs, STs, BCs and OCs. Their services were mentioned in Home Guards Act as "self-voluntary services". This "self-voluntary service" word may be deleted and their services may be regularized. The pay and other allowances may also be sanctioned to them on apar with police personnel working in BSF, CRPF, CASF, RAF, RPF, RPSF and in various departments like police, fire, prohibition, excise, forest jails, etc. They should also be absorbed in uniformed-service departments.

(1215/NKL/MY)

In Andaman and Nicobar, the services of Home Guards were regularised vide IA No. 01/2009 in Civil Appeal No. 3379/2009, dated 10-09-2009. The Government of India also implemented the above orders vide the Home Ministry's letter No. N-U-114040/22/2009, ANL dated 28-01-2015.

I would request the Government to take necessary steps, and also necessary instructions may be issued to the State Governments regarding the above demands of Home Guards of our country.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I would draw the attention of the Government to a very big stretch of wetland in my district and also in my adjoining district, Kendrapara. It relates to Ashrukhola-Jora, an ancient wetland. This natural wetland was the lifeline of the people living on both sides of these wetland, and was instrumental in providing livelihood to about more than a lakh of people through fisheries and agriculture, besides meeting all the domestic requirements of water. This wetland was famous as it was one of the longest fresh water wetlands in the State. Due to various factors of environmental degradation like siltation, complete stoppage of inflow of flood water due to closure of inlets, highly eutrophic conditions, weed infestation, and illegal conversion of land into agriculture fields, this wetland has since been degraded gradually in size, threatening the entire ecosystem. As a result, the utility potential of the wetland has been adversely affected and disappeared now. As a single flow water body, this wetland is now on the verge of extinction. Therefore, I would urge this Government to provide adequate funding for renovation and restoration of this memorable wetland called Ashrukhola.

I have also written to the hon. Minister concerned but I would draw the attention of the House towards this issue. As there is a programme of Wetland Development Authority which comes under the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, I would urge upon this Government to take necessary steps. The Odisha Government has already sent the proposal to the Union Government, and I would urge the Government to take the decisions expeditiously.

**श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती):** सर, महाराष्ट्र में इस साल फसलों का काफी नुकसान हुआ है। वहाँ इस बार बहुत बारिश हुई है। हमारे किसान हॉर्टीकल्चर का काम बहुत मेहनत से करते हैं। चाहे फल हो, फूल हो, हमारे किसान बहुत मेहनत करके दो पैसे अपने घर लेकर जाते हैं। इस खराब मौसम के कारण उनकी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में ऐसी 25 हजार हेक्टेयर जमीन है, जहाँ बारिश के कारण फसलों का बहुत नुकसान हुआ है। मेरी केन्द्र सरकार से विनती है कि जो नेशनल रिलीफ फंड है, अगर उसमें से थोड़ी मदद महाराष्ट्र के किसानों को दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को खत भी लिखा है। मेरी भी केन्द्र सरकार से विनती है कि हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए।

**श्री मलूक नागर (बिजनौर):** चेयरमैन साहब, अपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

महोदय, इस कोरोना महामारी के बीच 12 मार्च, 2020 को मैंने यह मुद्दा उठाया था। उसके बाद मैंने दोबारा 20 सितंबर, 2020 को भी यही मुद्दा उठाया था। भारत सरकार और प्रदेशों की सरकारों ने बहुत ही जबरदस्त काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत अच्छा काम किया। इससे पूरे संसार में इस देश का नाम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी, उसके हिसाब से योजनाएं नीचे तक पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हुई हैं। कोरोना की दूसरी लहर में ऐसी स्थिति आ गई थी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया था।

महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूँगा, क्योंकि आज तीसरी लहर के रूप में डिफरेंट तरीके की वेरिएंट की खोज हो रही है, उनकी रोकथाम के लिए पहले से ही इस पर ध्यान दिया जाए। दूसरी लहर के बाद, देश के उद्योगपतियों और किसानों को जो नुकसान हुआ, उनके नुकसान को किस तरह कम्पेनसेट किया जाए, उनका टाइम आगे बढ़ाया जाए, इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। खासकर, कोरोना के बाद देश के ज्यादातर लोगों पर इस बीमारी का जो इम्पैक्ट हुआ है, उससे टेंशन बियरिंग कैपेसिटी बढ़ गई और शरीर के ज्यादातर हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया। आज लोगों को हॉर्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन हैमरेज हो रहे हैं। इससे बहुत गंभीर इंफैक्शन भी हो रही है और उससे लोगों का स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो रहा है।

(1220/CP/MMN)

देश में साइकोलोजिस्ट डॉक्टर्स और साइकैट्रिस्ट डॉक्टर्स की कमी है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि साइकोलोजिस्ट डॉक्टर्स और साइकैट्रिस्ट डॉक्टर्स को बढ़ावा दिया जाए और उनको इंसेंटिव दिए जाएं, जिससे लोगों की सेहत मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छी की जा सके। देश के लोग बढ़िया काम कर सकें और देश पहले की तरह तरक्की के रास्ते पर चल सके, जिससे माननीय प्रधान मंत्री जी का 5 ट्रिलियन डॉलर का सपना साकार हो सके।

**श्री हनुमान बेनिवाल (नागौर):** सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश के किसानों की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए राजस्थान सहित किसानों की कर्जमाफी की मांग को लेकर प्रधान मंत्री जी और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। किसानों को सत्ता में आने का माध्यम राजनीतिक दल बनाते हैं। इसी प्रकार राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने जन-घोषणा-पत्र में दस जिलों में किसानों की सम्पूर्ण कर्जमाफी की बात कही। राजस्थान के भोले-भाले किसानों को ठगा और उनका वोट लिया। कांग्रेस कल जयपुर में...(व्यवधान) एक मिनट रुकिए। यह आपका घोषणा-पत्र है, जिसे मैं देख रहा हूं।...(व्यवधान)

**माननीय सभापति(श्री राजेन्द्र अग्रवाल):** वह नाम नहीं ले रहे हैं।

... (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं।

... (व्यवधान)

**श्री हनुमान बेनिवाल (नागौर):** मैं घोषणा-पत्र तो बोलूंगा।... (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** आप बोलते रहिए।

... (व्यवधान)

**श्री हनुमान बेनिवाल (नागौर):** आपने घोषणा-पत्र के अंदर यह बात कही।... (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** आप बोलते रहिए। जो आपत्तिजनक होगा, वह हटा दिया जाएगा।

... (व्यवधान)

**श्री हनुमान बेनिवाल (नागौर):** आपने घोषणा-पत्र के अंदर यह बात कही कि अगर हम सत्ता के अंदर आए ... (व्यवधान) *... (Not recorded)* जी राजस्थान के अंदर थे। ... (व्यवधान) एक बार नाम ही तो लिया है, क्या हो गया?... (व्यवधान) क्या नाम ही नहीं लेंगे?... (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** आप बोलिए।

... (व्यवधान)

**श्री हनुमान बेनिवाल (नागौर):** *... (Not recorded)* जी राजस्थान के अंदर सभा करके आए और उन्होंने बोला कि अगर कांग्रेस की सरकार आई, तो दस दिनों में किसानों का सम्पूर्ण कर्ज माफ करेंगे।...(व्यवधान) उन्होंने दस दिनों के अंदर सम्पूर्ण कर्जमाफी की बात कही।...(व्यवधान) राजस्थान में कांग्रेस के सत्ता के अंदर आने के बाद किसान आत्महत्या करने को मजबूर है।...(व्यवधान) कल कांग्रेस पार्टी ने जयपुर के अंदर रैली की।... (व्यवधान) *... (Not recorded)* जी ने छाती को पीठ बता दिया कि पीठ में छूरा घोंपा है।... (व्यवधान) ये हालात कांग्रेस पार्टी के हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं मांग करूंगा कि ऐसे राजनीतिक दल, जो गलत तथ्यों पर आधारित कर्जमाफी की बात करते हैं या जो झूठे लोक-लुभावने वादे करके घोषणा-पत्र के अंदर झूठी बात करके सत्ता में आते हैं, इन लोक-लुभावनी बातों को छल की श्रेणी में लिया जाए।...(व्यवधान) जो आईपीसी की धारा 419 है, वह इन राजनीतिक दलों पर लागू हो।...(व्यवधान) तभी दोबारा ऐसे घोषणा-पत्र ये लागू नहीं करेंगे।...(व्यवधान) जनता को बरगलाकर कांग्रेस पार्टी ने कल जयपुर में

एक फ्लॉप शो किया।...(व्यवधान) मेरी मांग है कि एक कानून बने कि जो भी पार्टी झूठे घोषणा-पत्र जारी करती है और इन झूठी घोषणाओं के आधार पर वोट लेती है...(व्यवधान) आईपीसी की धारा 419 के तहत, छलकपट के अंदर इनके ऊपर कार्रवाई होकर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ...(व्यवधान) मेरी आपके माध्यम से यह मांग है।

**माननीय सभापति :** कोई नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** श्री ए. गणेशमूर्ति जी।

... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** प्लीज आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा। अगर कोई और भी आपत्तिजनक बात होगी, तो हम देख लेंगे।

... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** प्लीज, बैठिए। I will look into it.

... (व्यवधान)

*SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): In Tamil Nadu, the Power Grid Corporation of India and Tamil Nadu Transmission Corporation Limited (TANTRANSCO) are executing more than 13 power projects involving high power transmission towers. More than 40,000 farmers are directly affected due to the implementation of these projects, and more than this number are being affected indirectly. As agricultural activities are not providing profits anymore, the monetary value of the land is the only source of livelihood of farmers. Due to these schemes relating to high power transmission grids and the installation of towers on farm lands, the value of land has drastically gone down. Moreover, trees, crops, wells, bore wells, houses and other structures found on the land are also very much affected. In the year 2015, Ministry of Power had devised guidelines for providing compensation to the persons affected due to the implementation of high-power grid projects. These guidelines are not on the basis of any law and are also against the fair and justified means of providing compensation to the victims. The new Land

* Original in Tamil

Acquisition Act legislated by the Union Government in the year 2013 exempted 13 enactments listed in the Fourth Schedule of the Act regarding rights relating to acquisition and use of land. But the Union Government in its report issued in the year 2015 affirmed that the 13 enactments regulating the land acquisition, rehabilitation and settlement will be applicable to the Land Acquisition Act. This includes the Electricity Act of 2003 and the PMP Act 1963 which are related to acquisition and use of land. Power transmission companies are denying rightful compensation to the victims as per law stating that the Land Acquisition Act of 2013 is only applicable to land acquisition and not for rights relating to use of land. Keeping in view of the affected farmers. I, therefore, urge upon the Government to help the victims affected by high power transmission towers in getting compensation and to order for carrying out the rehabilitation and resettlement work, that is due to these victims, as per the new Land Acquisition Act of 2013.Thank you Sir.

(1225/SK/VR)

**श्री अरूण साव (बिलासपुर):** माननीय सभापति जी, जनसंख्या नीति का संबंध प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने से है। जहां भी जनसंख्या नियंत्रित करने के प्रयास हुए हैं, वहां विकास की गति बढ़ी है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सभी राजनीतिक दलों को जाति, मज़हब, सम्प्रदाय की राजनीति से आगे बढ़कर राष्ट्रहित और समाज हित में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की नितांत आवश्यकता है। जनसंख्या नियंत्रित कानून बनाकर देश की जनता को प्रदूषण, खराब सेहत, बेरोजगारी और अशिक्षा के साथ तमाम समस्याओं से निजात मिल सकेगी।

देश में भौतिक संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या असीमित है। आने वाले 10-12 साल में हमारी जनसंख्या 150 करोड़ पार कर जाएगी। वर्ष 1857 में भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था और जनसंख्या 35 करोड़ थी। अब दुनिया की 18 प्रतिशत जनसंख्या हमारे देश में निवास करती है, जबकि यहां जमीन 2.4 फीसदी, पीने का पानी 4 फीसदी और वन क्षेत्र 2.4 फीसदी है। ये आंकड़े चिंता पैदा करने वाले हैं।

लोगों को आबादी नियंत्रित करने के महत्व को समझना चाहिए क्योंकि यह न केवल उन्हें स्वस्थ-स्वच्छ वातावरण तथा बेहतर जीवन स्तर प्रदान करेगा, बल्कि अपने देश के समग्र विकास में मदद भी करेगा। इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए समाज और सरकार को एक साथ काम करने की आवश्यकता है। अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में लोगों को आवास की दिक्कत भी हो सकती है।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग करता हूं। धन्यवाद।

DR. M P ABDUSSAMAD SAMADANI (MALAPPURAM): Sir, I am thankful to you for permitting me to bring to the notice of the Government a serious issue related to the Kozhikode airport in Kerala. A large number of passengers, majority of whom are expatriates from the State of Kerala depend upon this airport.

A decision regarding restriction on operation of wide-body aircraft from the Kozhikode airport was taken by the authorities. Earlier, it was operating very well. The operation of the wide-body aircraft has been withdrawn by citing one reason or the other. It has caused a lot of problems to the passengers, who totally depend on this airport.

Sir, there was a well-functioning Haj embarkation point at the airport as well. Its permission has also been withdrawn. The Kozhikode airport has been excluded from the list of embarkation points in the country. It has caused a lot of difficulties to the pilgrims, who belong to the northern part of Kerala as they totally depend on this airport.

Sir, the operation of the wide-body aircraft was stopped after an unfortunate accident, which took place more than one year ago. The official report prepared by the Committee, which was appointed by the Government after the accident, has clearly stated that the airport infrastructure has nothing to do with the accident. So, it seems that there is no justification for this decision. It is because of this restriction that people are facing a lot of difficulties. It has badly affected the functioning of the Kozhikode airport, which was well functioning for the expatriates, who go abroad for work.

Sir, I would like to request the Government to intervene in this matter and take urgent steps to resume the operation of wide-body aircraft. I also request the Government to again sanction the Haj embarkation point at Kozhikode airport. Thank you.

(1230/MK/SAN)

**श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़):** सभापति महोदय, जिस प्रकार से दो साल पहले कोविड की वजह से सारी दुनिया और हमारे देश में जो हालात थे, वे किसी से छिपे हुए नहीं हैं। लेकिन, माननीय प्रधान मंत्री जी ने जिस प्रकार से कोविड को कंट्रोल किया और एक फैसला लिया कि पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए तो वह बहुत ही अच्छा फैसला है।

मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि मेरे दादरी के अंदर, जो महेन्द्रगढ़-भिवानी लोक सभा क्षेत्र में पड़ता है, वह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, 200 एकड़ जमीन में शहर के बीच में एक डालमिया फैक्ट्री होती थी, वह सरकार के पास है, वह पचास साल पहले बंद हो चुकी है, वहां पर एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। ऐसा न हो कि श्वास से संबंधित तीसरी लहर आ जाए। इसलिए, उससे पहले हमें यह कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए।

इसी प्रकार से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में शिक्षा से संबंधित भी एक यूनिवर्सिटी वहां पर जरूर बनाई जाए। मैं आपके माध्यम से यही प्रार्थना करता हूं।

धन्यवाद।

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Hon. Chairperson, Sir, I wish to draw the attention of this great House towards the increasing number of atrocities against the SCs, the STs, the Dalits and the minorities. NCRB data shows that it is increasing in an alarming way. I recently visited Garukhuti project area of Assam where I saw that thousands of innocent people were being driven away from the places where they had been staying for years together. Similarly, we are witnessing hellish experience in other places also. You know very well the Tripura incident where mosque demolition and atrocities in the Muslim predominant areas took place. These are all very sad things. All this is used as an instrument to torture the innocent people. Recently, there took place an attack on a church in Karnataka. This is also a worrisome subject.

Sir, I will tell you the saddest thing. In an old area near Gurugram, for last two to three months, *jumma* prayer, the congregational prayer is not being allowed. This is a very sad thing.

What is happening is that vandalism is going on. What these hooligans are doing is that when the people come for offering *jumma* prayers, they attack them and try to do all kinds of cruelty. It is a story of tears. People are complaining about that. This is nothing but misuse of power. The police personnel are standing as silent spectators and are not acting when these kinds of things are going on. What these innocent Muslims are doing is that they are escaping from that place, fearing for their lives. In this regard, I would like to say that approximately 4,25,000 Muslims are there in that area. You can very well imagine their deplorable condition when they are being denied congregational prayer. This House may seriously think about that.

Not only that, there is spreading of the hate speeches. There is an Islamophobia kind of propaganda. That is spoiling the very important secular nature of this country.

Towards the end, I would like to say that the constitutional rights are there for everybody, not for any particular religion. When that is the guarantee given by the Constitution, I urge upon the Government to do justice. Irrespective of whether they belong to the SCs, the STs or the minorities, they are the sons of India and they are the population of India. So, what I am appealing for is only justice for the SCs, the STs and the minorities.

With these words, I conclude. Thank you.

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): Hon. Chairperson, Sir, I would like to raise an important topic regarding the development of agriculture export facilities at Vijayawada International Airport.

The State of Andhra Pradesh is blessed with two of the major rivers in the country – the Godavari and the Krishna. Over the centuries, agriculture has developed on the fertile lands surrounding these rivers. Today, the regions in and around Vijayawada are well known for their agricultural export commodities. We have red chillies, mangoes, turmeric, tobacco and inland fisheries. All these commodities have a great export potential. In the interest of further promoting the export potential of these commodities, the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority should develop agriculture export facilities at the Vijayawada International Airport as was done at the Varanasi Airport, which was operationalised very recently.

(1235/SNT/SJN)

Facilities like cold storage, customs clearance, phytosanitary clearance, etc., should be established at the Vijayawada Airport.

In Andhra Pradesh, the export commodities have been growing over the last few years but the agricultural commodities of the Vijayawada region are currently either transported to one of the sea port facilities in Andhra Pradesh or Vishakhapatnam Airport. So, developing export facilities at Vijayawada Airport will further boost the export growth of agricultural commodities of Andhra Pradesh. Also, such development will facilitate easier and quicker exports of the agri commodities from the Vijayawada region.

Given the goal of doubling farmers' income, I urge the Ministry of Commerce to develop on an immediate basis an agriculture export hub at Vijayawada Airport.

Thank you.

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) :** सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के सबसे शक्तिमान और सबसे सर्वोच्च सुरक्षित हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब के ट्विटर अकाउंट पर दिन-दहाड़े हमला होता जा रहा है, उस पर डकैती पड़ती जा रही है। मेरा यह सवाल है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी का ट्विटर हैंडल सुरक्षित नहीं रहेगा, तो हिन्दुस्तान के आम लोगों का ट्विटर हैंडल कैसे सुरक्षित बच पाएगा?

महोदय, मुद्दा यह है कि जब हिन्दुस्तान की सरकार क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है, तब प्रधानमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से यह पोस्ट किया जाता है कि हिन्दुस्तान की सरकार ने सभी क्रिप्टो करेंसी का चलन मान लिया है, हिन्दुस्तान के लोगों के लिए 500 बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी खरीदी गई है और उसको बांटा जाएगा।

महोदय, यह हमारे देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं हिन्दुस्तान की सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि वह खुद यहां पर आए और इस सदन में बताए कि यह कैसे हुआ है। एक बार नहीं, पिछले दो सालों में दो-दो बार हमारे प्रधानमंत्री जी के ट्विटर हैंडल पर डकैती पड़ रही है, तो फिर हमारे हिन्दुस्तान की सुरक्षा कैसे बचेगी? आज हमारे हिन्दुस्तान की सुरक्षा खतरे में है। यह सरकार इस विषय पर जवाब दे कि यह कैसे हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? वे क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देते हैं या नहीं, वह सदन में आकर खुद बताए।...(व्यवधान)

महोदय, मैं सरकार से यह गुजारिश करता हूं कि वह सदन के अंदर इस विषय पर स्पष्टीकरण दे। हमारे पार्लियामेंट के अंदर...(व्यवधान)

**डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) :** सभापति महोदय, आपका धन्यवाद।

इस देश में स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम से, आम लोगों के लिए, उन्होंने यहां पर एक बड़ा अच्छा कानून पेश किया था, आज हम उनको बधाई देना चाहते हैं और उनके प्रति नमन भी करना चाहते हैं। संविधान का 73वां और 74वां संशोधन हुआ था, जिसमें पंचायतों को अधिकार दिया गया था। इन्होंने जो कानून पास किया था, वह आर्टिकल 243-ई और 243-यू है। मैं झारखंड राज्य से आता हूं, वहां इन दोनों का जबरदस्त वाइलेशन हुआ है।

महोदय, पिछले एक साल से झारखंड राज्य में पंचायत/म्यूनिसिपिल कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं हुआ है।...(व्यवधान) हमारे बगल में बिहार राज्य है, वहां कोरोना के बावजूद भी चुनाव हुआ। हमारे बगल में पश्चिम बंगाल राज्य भी है, जहां पर कोरोना के बावजूद भी चुनाव हुआ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि इसमें 243-ई और 243-यू आर्टिकल का वाइलेशन हुआ है, जो वर्तमान मुखिया थे या जिला परिषद के अध्यक्ष थे, उन्हीं को ही कंटिन्यू कर दिया गया है, जो कि संविधान के तौर पर ऐसा कर ही नहीं सकते हैं।

झारखंड कांग्रेस शासित राज्य है। उसके पीछे जो कारण है, जो मुखिया है, जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, वहां केन्द्र की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वह वित्त आयोग का पैसा हो, चाहे वह मनरेगा का पैसा हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा हो, चाहे स्वास्थ्य का पैसा हो, चाहे बिजली का पैसा हो या चाहे वह किसी भी प्रकार का पैसा हो, सारे पैसों में कमीशन बटा हुआ है। चाहे कोयले का कमीशन हो, चाहे बालू का कमीशन हो, चाहे आयरन ओर का कमीशन हो, चाहे पोस्टिंग-ट्रांसफर हो। इस मुखिया के माध्यम से, चूंकि संविधान के आर्टिकल के वाइलेशन के बाद मुखिया को कंटिन्यू किया गया है, सभी से राज्य सरकार एक सर्टन कमीशन ले रही है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह आग्रह है कि केन्द्र का जितना पैसा आबंटित है, क्योंकि आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आत्मा रो रही होगी कि हमने इस तरह का कानून पास किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस शासित राज्य में ऐसा हो रहा है। केन्द्र के सभी पैसों को रोकना चाहिए, सीबीआई की इन्क्वॉयरी होनी चाहिए, इसमें जो भी दोषी हैं, उनको जेल भेजना चाहिए और झारखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए।...(व्यवधान)

(1240/YSH/SRG)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, thank you for giving me an opportunity to raise a very urgent matter.

The cashew sector in Kerala was facing unprecedented challenges and crisis that aggravated further with the onslaught of COVID-19. I would like to bring to the notice of this House the crisis faced by the cashew sector including its workforce and entrepreneurs. Five hundred cashew factories are closed due to several issues and unsupportive policies of both the Central Government as well the State Government. In Kollam district of Kerala, more than two lakh women workers are working in this sector, and due to COVID pandemic, they are facing unemployment and retrenchment. Their stipulated ESI and PF benefits are also diminishing.

The entrepreneurs are now being asked to clear their loans within months when the entire industry is in doldrums due to the existing COVID induced crisis in production and sales. The cashew sector is already the victim of a policy driven challenge wherein cashew import is decimating the domestic cashew industry. The crisis is quite widespread as only around 100 factories are currently functioning out of 836 spread around Kollam and the neighbouring districts.

I would like to urge the Central Government to take urgent steps to call a high level meeting at the earliest for addressing this crisis and recommending

long-term measures for the sustenance of cashew sector, so that the workers and the entrepreneurs are protected and the industry is allowed to revive. I would also urge the Government to declare special package for securing better working conditions to raise the living conditions of cashew workers.

**श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण):** सभापति जी, धन्यवाद। मैं इस विषय को निरंतर इसलिए उठा रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को सबसे पिछड़े राज्य का दर्जा दिया गया है और उसमें एक विषय सड़क का भी है। 'प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना' के तहत बिहार को 6,000 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति दी गई और अभी बिहार सरकार से मात्र 1300 किलोमीटर का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार का दो तिहाई हिस्सा बाढ़ से प्रभावित होता है और वहां की सड़कें टूटती रहती हैं।

वर्तमान में कालीकरण का प्रस्ताव दिया जाता है, उससे सड़कें टूटती हैं और बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि हमें आरसीसी की सड़कें दी जाएं ताकि लंबी अवधि तक उन सड़कों का रख-रखाव हो सके। संकट यह है कि बिहार सरकार ने जिस प्रस्ताव को भेजा है और जो मानक प्राक्कलन भारत सरकार ने स्वीकृत किया है, वह उस मानक में नहीं बैठता है। इसका परिणाम यह हुआ कि बिहार सरकार और केन्द्र सरकार के बीच एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर यह पैसा कौन देगा? हम बिहार में कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है और मैं बार-बार सदन से गुजारिश कर रहा हूँ कि हम सबको बिहार की उपेक्षा को रोकना होगा और कहीं ना कहीं इस बात पर विचार करना होगा। जहां तक यदि पूरे देश के विकास का सवाल है और अगर बिहार पिछड़ा हुआ रह जाता है तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? इन्हीं मानकों से बिहार आज पिछड़ता जा रहा है। चाहे सड़कों का मानक हो, बिजली का मानक हो या फिर स्वास्थ्य का मानक हो। अगर हम एक-एक करके एक-एक क्षेत्र को छोड़ते जाएंगे तो फिर विकास का काम पूरा कैसे हो पाएगा? हम पांच-पांच, दस-दस साल से एक ही विषय को लेकर आ रहे हैं।

महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जब तक यह मानक बदला नहीं जाएगा और जब तक इन विषयों पर चर्चा नहीं की जाएगी, तब तक सुधार नहीं हो सकता है। इस सदन में पूरे भारतवर्ष के लोग बैठते हैं। हमारे बिहार के लोग पूरे भारतवर्ष में जाकर बसते हैं। इसका मूल रूप से यही कारण है कि वहां पर गरीबी है। हमारी कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है। हमारे यहां पर आप 300-400 किलोमीटर तक चले जाइए, वहां पर आपको एक भी फैक्ट्री का धुंआ नही मिलेगा। जब तक नीति नहीं बनेगी, तब तक निवेश नहीं आएगा। आखिर बिहार में नीति और निवेश का काम कौन करेगा? हमारे जैसे लोग, जो वर्षों से बिहार का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, उस पिछड़े राज्य के प्रतिनिधि के रूप में उस पिछड़ेपन के लिए बिहार में निवेश की नीति होनी चाहिए और वह नीति तभी बनेगी, जब पूरा भारतवर्ष एक होकर बिहार के बारे में सोचना शुरू करेगा। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि बिहार के बारे में सदन को भी सोचना चाहिए और देश को भी सोचना चाहिए ताकि हम बिहार के पिछड़ेपन पर इस बड़ी आवाज को उठा सकें।

(1245/AK/RPS)

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, education has always been affected by persistent issues such as accessibility, continuity, learning gaps, and gender-inequality, but all these have been amplified due to the pandemic.

According to the hon. Education Minister himself, 15 crore children are out of the educational system in India. According to the National Right to Education Forum, 10 million girls are at risk of dropping out. This clearly implies that the efforts put in to educate girls will all go in vain. Now is the time to take necessary action or else it will be irreversible.

Loss of income in the families has snatched away the opportunity of the girl child of the family. We should not wait for this to reflect in the records and indexes, rather attention must be given to come up with a robust mechanism that will ensure that children are not deprived of their right to education. More funds should be allocated for education, and ensure psycho-social well-being support to children who have lost their guardians. Financial assistance must be coupled with proper care system that will look after the needs of children, which is necessary for their development.

Teachers must be trained to adapt to new normal environment of digital literacy, which brings me to the most crucial point, namely, accessibility. Children must be provided with means of continuing their education far away from their classrooms. I would request the hon. Minister to look into the matter seriously because it is equivalent to a silent pandemic, which is engulfing our country. We need to educate and protect the children of the nation. Thank you, Sir.

*SHRI GAUTHAM SIGAMANI PON (KALLAKURICHI): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. The National Highway NH 79 connects Villupuram, Kallakurichi and Salem districts of Tamil Nadu. This is a four lane Highway. But at 8 places of this National Highway (NH 79) the work is pending for completion. They remain as two lane Highway at 8 places on this NH 79. As many as 800 lives have been lost in the accidents that has taken place in these 8 places on the National Highway No 79. I have, time and gain, raised this issue in this august

* Original in Tamil

House, besides submitting application during my meetings with Hon. Minister and other high Officials. But no action has been taken in this regard so far. Athur, Vazhapadi, Udayapatti, Chinnasalem, Kallakurichi, Thiyagathuruvam, Ulundurpet are some of the important places that are connected through this NH 79. But the work is still incomplete. Toll collection centers are situated in four places within a distance of 150 kilometers. Several thousands of Crores have been collected through these toll collection places. Sir, through you I would like to urge that Instead of spending thousands of Crores for its publicity campaign highlighting the achievements which have never taken place, the Union Government should concentrate on completion of projects like the four lane construction work along NH 79 immediately. Thank you.

**श्री पी. पी. चौधरी (पाली):** सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारे देश में किसानों की आय में वृद्धि करने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने एवं किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लेते हुए, कृषि उत्पादों को सीधे बाजार से जोड़ने हेतु मेगा फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। मेगा फूड पार्क मे संग्रहण केन्द्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्रों, केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्रों, शीत श्रृंखला और उद्यमियों द्वारा प्रसंस्करण यूनिट्स की स्थापना हेतु 25 से 30 पूर्ण विकसित भूखण्डों समेत आपूर्ति श्रृंखला एवं अवसंरचना शामिल है।

महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में मेगा फूड पार्क की संभावनाओं की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान खाद्य सामग्री, व्यंजनों आदि के लिए विश्वविख्यात है। यहां की खाद्य सामग्री की मांग देश में ही नहीं, अपितु विदेशों में भी रहती है। पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में उत्पादित कृषि जिंसों की गुणवत्ता भी श्रेष्ठ है। पश्चिमी राजस्थान में मेरे संसदीय क्षेत्र पाली के मथानिया क्षेत्र में मेगा फूड पार्क की स्थापना की अपार संभावनाएं हैं।

(1250/SPS/SPR)

मथानिया पूरे विश्व में अपनी मिर्ची के लिए विश्वविख्यात होने के अलावा प्याज, लहसुन, गाजर, मूंगफली आदि के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। फूड पार्क की स्थापना के लिए यहां लगभग 300 बीघा सरकारी भूमि भी चिन्हित की जा चुकी है। यह क्षेत्र सड़क व रेल मार्ग से जुड़ा है, जिसका फायदा होगा। मेगा फूड पार्क बनने से यहां के कृषि क्षेत्र में काम करने वाले हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र की कृषि उपज का उचित प्रबन्धन भी होगा।

महोदय, इस फूड पार्क के लिए केन्द्र सरकार से 50 करोड़ रुपये से अधिक सहायता राशि भी प्रस्तावित है। राजस्थान सरकार द्वारा इसकी प्रक्रिया में ढिलाई बरती जा रही है। मेरा आपके माध्यम से माननीय प्रसंस्करण उद्योग खाद्य मंत्री जी निवेदन है कि मेरी लोक सभा क्षेत्र के मथानिया क्षेत्र में मेगा फूड पार्क की जल्द स्वीकृति हेतु आदेश देने की कृपा करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Sir, through this submission, I would like to bring to the notice of hon. Minister of Transport and Highways an urgent matter regarding delay in construction of Thripunithura bypass, and the consequent agonies and difficulties being faced by the landowners. The bypass to the NH-85 is beneficial for the people of three Parliamentary constituencies, that is, Kottayam, Ernakulam, and Chalakudy, and also three Assembly constituencies of Piravam, Thripunithura and Kunnathunad. Originally, the proposal was for the construction of NH-85 from Kochi (Kundanur) to Dhanushkodi (Theni) with a bypass at Thrippunithura. Now, the NHAI, in addition to NH-85, has brought in a new proposal for another bypass called Kochi bypass from Karukutty near Angomali to Kundanur, as part of NH-66, and is reportedly considering an alignment which is different from Thripunithura bypass, for which land was acquired. An alignment avoiding an already acquired land for Thripunithura bypass would cause irreparable loss and agony to 219 families - 167 families in Thiruvaniyur village and 52 families in Thiruvankulam village. They were not allowed to do any construction or other activities on their properties for the last 30 years.

It is understood that it is a new proposal for alignment, which is different with an elevated road and also with an additional length of three km. Moreover, another alignment means additional cost for the NHAI for land acquisition. It is a matter of grave injustice to these landowners on the part of the NHAI and the Ministry of Road Transport and Highways, if a different alignment is proposed.

Sir, under these circumstances, through you, I would like to request the hon. Minister of Road Transport & Highways to give directions to the authorities of the NHAI that the original alignment of the proposed Kochi bypass be aligned through the land already acquired and frozen for the last 30 years for the erstwhile Thrippunithura bypass.

**माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) :** माननीय सदस्यगण, मैं अभी गत शुक्रवार, यानी 10 तारीख के कुछ शून्य प्रहर के विषय थे, उनको ले रहा हूं। यह कोशिश होगी कि सांयकाल 6 बजे के पश्चात् सभी को मौका दिया जाए।

SHRI UTTAM KUMAR REDDY (NALGONDA): Sir, through you, I wish to bring a matter of urgent public importance to the notice of the Government. The people of Telangana are strongly objecting to the auction of four coal blocks - Kalyan Khani block, Koyagudem block, Sathupalli block and Shravanapalli

block. These coal blocks are co-located with an existing public sector undertaking, Singareni Collieries Company, which is a 100-year-old public sector undertaking, and the oldest coal mining public sector undertaking in the country.

(1255/UB/RAJ)

It has had continuous profits for twenty years. In a very bizarre decision, instead of allocating these coal blocks to the Singareni Collieries Company Limited, which is a public sector company, the Coal Ministry has gone for an auction, and 50,000 workers of the Singareni Collieries Company Limited are on strike right now causing a loss of Rs. 120 crore per day.

The Singareni Collieries Company Limited currently needs to supply the coal required by thermal power stations in Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu. Instead of allocating these coal blocks to the Singareni Collieries Company Limited, the Coal Ministry is putting it up for auction which is an irrational and an objectionable decision. We demand that the auction of these four coal blocks be cancelled and be allocated to the Singareni Collieries Company Limited.

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Mr. Reddy, you have changed your subject. आप इसके बारे में थोड़ा पहले बताते, तो अच्छा रहता।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I would like to clarify the matter. Whenever the auction regime has begun in the past, whatever has happened during the UPA regime, as far as allocation of coal is concerned, it is all well known to everyone, and subsequently, what the hon. Supreme Court has said regarding this is also known.

The auction has now begun. Even if the allocation to the States was done before, we are not doing it now. We are not opting for an allocation route. And even if it is allocated, the process of issuing notice for inviting applications is done. We are not doing it arbitrarily. Whatever strike is going on, it is unfortunately State sponsored. Instead of speaking to the Minister concerned, or the officer concerned, they have gone on strike. They should come and speak. This State-sponsored strike or *bandh* is neither in the good interest of the nation nor in the good interest of SECL. Whatever statement he has made, it is not based on the facts. It is far from the facts. … (*Interruptions*)

*SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Post bifurcation, the state of Andhra Pradesh is being neglected in all aspects. There are many projects which need to be sanctioned. Many pending dues are not paid and as a result we are facing difficulties. This is my request on behalf of farmers regarding pending dues against procurement of food grains. These dues are yet to be released by the Union Government. For 2012-13 Rs.17.40 crores, for 2013-14 Rs.269.31 crores, for 2014-15 Rs.963 crores, for 2016-17, Rs.156 crores, for 2017-18 Rs.206.8 crores, for 2018-19 Rs.89.46 crores are due towards procurement of food grains. Even after submissions of UCs, requests from our Honourable Chief Minister Shri YS Jagan Mohan Reddy and Civil Supplies Minister, even after providing clarifications from the department the Union Government did not release the pending dues.

Still Rs.1702.90 crores, are due which is unfair towards our State. These dues should be released immediately. Bills are being kept in pending with the Union Government, even after many requests to release the same. I request the Honourable Minister on behalf of Andhra Pradesh to release these funds at the earliest.

**श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक):** महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप सभी जानते हैं कि इस साल महाराष्ट्र में बेमौसम बरसात और ज्यादा बरसात होने से हमारे किसानों को काफी नुकसान हुआ है।

(1300/PC/KMR)

इस परिस्थिति में भी हमारे विदर्भ क्षेत्र में धान का जो उत्पादन हुआ है, वह अच्छी तरह से हुआ है, लेकिन पिछले साल की तुलना में उत्पादन कम हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज नाफेड के माध्यम से धान की खरीद नहीं हो रही है। पिछले साल एमएसपी का रेट 1,860 रुपये था। इस समय एमएसपी का रेट 1,940 रुपये है। अगर महाराष्ट्र की प्रोडक्शन कॉस्ट निकालेंगे, तो वह काफी महंगी होती है। इसलिए लास्ट इयर नाफेड ने परचेज़ करने के बाद 700 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस दिया था। अब धान का उत्पादन हो गया है, लेकिन नाफेड के माध्यम से अभी तक खरीद शुरू नहीं की गई है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं कि नाफेड ने पिछली बार जो 700 रुपये का बोनस दिया था, इस बार 1,000 रुपये का बोनस देकर सरकार नाफेड के माध्यम से यह पूरी खरीद करे। धन्यवाद। … (व्यवधान)

**माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) :** राऊत साहब, आप प्लीज़ अपनी स्लिप भेज दीजिए।

---

* Original in Telugu

… (व्यवधान)

**श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) :** सर, यह मुद्दा माननीय श्री कृपाल बालाजी तुमाने जी ने और आदरणीय सुप्रिया सदानंद सुले जी ने उठाया है। महाराष्ट्र में भारी बेमौसमी वर्षा होने की वजह से सारे किसान परेशान हो चुके हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ में सुधार होने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार की कई टीमें महाराष्ट्र में हमारे रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग में गईं। उन्होंने जाकर वहां का हाल देखा, लेकिन आज तक कोई भी मदद नहीं हो सकी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में भारी वर्षा से परेशान हुए किसानों की जल्दी से जल्दी मदद की जाए। धन्यवाद।

**कुंवर दानिश अली (अमरोहा) :** सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। पिछले दिनों सरकार ने किसानों के खिलाफ जो तीन *… (Not recorded)* कृषि कानून थे, उनको वापस लिया। देश भर में शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहे थे। उनके ऊपर झूठे मुकदमे भी लिखे गए। सरकार ने इन-राइटिंग यह भी कहा है कि वे मुकदमे वापस होंगे। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि सीएए का जो कानून सरकार लेकर आई, उसके खिलाफ देश भर में शांतिपूर्वक आंदोलन चले। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से लेकर जेएनयू, सारे विश्वविद्यालय और खास तौर पर महिलाओं ने जो आंदोलन चलाया, शाहीन बाग की बूढ़ी महिलाओं ने आंदोलन चलाया, ऐसा शांतिपूर्वक और इतना लंबा आंदोलन, हिन्दुस्तान के इतिहास में बहुत कम हुआ है।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि वक्त रहते सीएए का जो कानून है, उसको वापस लिया जाए। उन लोगों को दोबारा आंदोलन के लिए न सड़कों पर निकाला जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही कहना चाहता हूं कि उस आंदोलन के दौरान यूएपीए जैसे झूठे मुकदमों में लोग बंद हैं, खास तौर से जो स्टूडेंट्स यूथ एक्टिविस्ट्स हैं, जो जेलों में सड़ रहे हैं, उनको तुरंत रिहा किया जाए। प्रधान मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। … (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** आप स्लिप्स भेज दीजिए।

… (व्यवधान)

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) :** सर, ऐसे तो पार्लियामेंट का काम करना बंद हो जाएगा। … (व्यवधान)

**श्री रामचरण बोहरा (जयपुर) :** माननीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय उड्डयन मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहूंगा। जयपुर और वडोदरा – ये दोनों स्थान इंडस्ट्रियल भी हैं और व्यवसायिक एवं टूरिस्ट सेंटर्स भी हैं। इन स्थानों के बीच फ्लाइट न होने के कारण काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

मैं आपके माध्यम से माननीय उड्डयन मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जयपुर-वडोदरा के बीच फ्लाइट चालू की जाए। स्टेच्यु ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभभाई पटेल का स्टेच्यु है,

पूरे राजस्थान से किसानों का लोहा और मिट्टी इस स्टेच्यु के लिए गया है। इससे राजस्थान के लोग अपने आप में गौरवांवित हैं और माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं।

मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा और वडोदरा सांसद माननीय श्रीमती रंजनबेन भट्ट जी ने भी आग्रह किया है कि जयपुर-वडोदरा फ्लाइट चालू होती है, तो जयपुर वासियों को, जो कि एक व्यवसायिक केन्द्र है, बहुत लाभ होगा। राजस्थान के काफी लोग, जो वडोदरा रहते हैं, उन लोगों को आने-जाने में और जो वडोदरा के लोग राजस्थान में नौकरी करते हैं, उन लोगों को भी आने-जाने में काफी फायदा होगा। इससे टूरिज़्म क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। अत: मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि जल्द ही यह फ्लाइट चालू कराई जाए। धन्यवाद।

(1305/RCP/IND)

SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR): Thank you, Sir. Financial inclusion is one of the most important areas which needs coordination between the Centre and the State. Despite serious efforts on the part of the Odisha Government to improve the lives of the people of the State through initiatives like Mission Shakti, inadequate banking infrastructure, particularly in the rural areas has become a major constraint. More than 70 per cent of our gram panchayats do not have a brick-and-mortar bank branch. Business correspondents are not effective in remote villages. Commercial banks are not delivering adequate credit to the agriculture and allied sector as well as the Self Help Groups in the State.

So, I would request the Government, through you, that all the banks may be instructed to allow Women Self Help Groups to act as banking correspondents, at least, in unbanked areas. The Government of India may issue necessary instruction to all the commercial banks to open more and more brick-and-mortar branches and ATMs in the unbanked areas to enable people to access banking services in those localities.

Thank you, Sir.

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me this opportunity. I would like to speak about an archaeology park situated in my Vellore constituency around the Vellore Fort. This park has been utilised by great leaders like Mahatma Gandhi *ji*, Nehru *ji*, Periyar, Perarignar Anna, Dr. Kalaignar, and even the latest leaders in Tamil Nadu. Many, many big decisions have been taken on that ground. But now the Archaeology Department is not permitting anyone to step into that ground. This is a matter of importance in Vellore district. Even yesterday, our State

Irrigation Minister visited that place. Everyone from the public requested for giving an opportunity to use that particular open ground.

I would request, through you, the Archaeology Department in Tamil Nadu to let the people use that particular ground for general purpose. It should be opened. It is a cultural heritage that we want to regain now.

Thank you, Sir.

**माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल):** माननीय सदस्यगण, बिल की समाप्ति के पश्चात् शून्य प्रहर फिर लिया जाएगा। मैं समझता हूं कि अगर कम समय में बोलेंगे और धैर्य रखेंगे, तो अधिकांश माननीय सदस्यों का उसमें क्रम आ जाएगा।

## LIST OF MEMBERS WHO ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

| **सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।** | **सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।** |
|---|---|
| Shrimati Sarmistha Sethi | Shri Anubhav Mohanty<br>Shri Kuldeep Rai Sharma |
| Kunwar Danish Ali | Shri Abdul Khaleque<br>Dr. Mohammad Jawed |
| Dr. Nishikant Dubey | Shri Sanjay Seth<br>Shri P. P. Chaudhary<br>Shri Malook Nagar<br>Shri Vishnu Dayal Ram<br>Shri Bidyut Baran Mahato |
| Shri Gautham Sigamani Pon | Shri Kuldeep Rai Sharma<br>Shri Dhanush M. Kumar |
| Shri P. P. Chaudhary<br>Shri Thomas Chazhikadan<br>Shri Uttam Kumar Reddy<br>Shrimati Vanga Geetha Viswanath<br>Shri Ramcharan Bohra<br>Shri D.M. Kathir Anand<br>Shri Bhartruhari Mahtab<br>Shri Kodikunnil Suresh<br>Shrimati Pratima Mondal | Shri Kuldeep Rai Sharma |
| Shrimati Supriya Sadanand Sule | Shri Kuldeep Rai Sharma |

| | |
|---|---|
| | Dr. Shrikant Eknath Shinde<br>Shri Shrirang Appa Barne<br>Shri Om Pavan Rajenimbalkar |
| Shri Malook Nagar | Shri Kuldeep Rai Sharma<br>Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil |
| Dr. M. P. Abdussamad Samadani | Shri Kuldeep Rai Sharma<br>Shri Anto Antony<br>Shri M.K. Raghavan<br>Shri T. N. Prathapan |
| Shri E. T. Mohammed Basheer | Shri Kuldeep Rai Sharma<br>Shrimati Supriya Sadanand Sule |
| Shri Vinayak Bhaurao Raut<br>Shri Rajiv Pratap Rudy<br>Shri Kesineni Srinivas<br>Shri Dharambir Singh | Shri Kuldeep Rai Sharma<br>Shri Malook Nagar |
| Shri Krupal Balaji Tumane | Shri Kuldeep Rai Sharma<br>Shri Om Pavan Rajenimbalkar |
| Shri A. Ganeshamurthi | Shri Dhanush M. Kumar<br>Shri B. Manickam Tagore |
| Shri Hanuman Beniwal | Shri Sumedhanand Saraswati<br>Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil<br>Shri Malook Nagar<br>Shri Devaji Patel<br>Shri Ramcharan Bohra |
| Shri Arun Sao | Shri Sumedhanand Saraswati<br>Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil<br>Shri Uday Pratap Singh |
| Shrimati Sonia Gandhi | Shri N.K. Premachandran<br>Shri B. Manickam Tagore |
| Shri Anil Firojiya | Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil |
| Shri Gajendra Umrao Singh Patel | Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil<br>Shri Sudhakar Tukaram Shrangare |

**माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल):** सभा की कार्यवाही दो बजकर दस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

1308 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजकर दस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।